मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

कमांक एफ 25/83/10-3/04 पार्ट भोपाल,दिनांकः 6 अगस्त, 2007

प्रति,

1 समस्त वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश
2 समस्त क्षेत्र संचालक,
राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश
3 समस्त वन मण्डलाधिकारी क्षेत्रीय/वन्यप्राणी,
मध्यप्रदेश

विषयः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के संबंध में असामाजिक तत्वों द्वारा भ्रामक स्थिति फैलाये जाने के कारण वन क्षेत्रों पर अतिकमण।

राज्य शासन की जानकारी में आया है कि कई जिलों में कुछ असामाजिक संगठन/तत्व आदिवासियों व अन्य ग्रामवासियों को भडकाकर वन क्षेत्रों में अतिकमण करने के लिए उकसा रहे है। इसके फलस्वरुप एक तरफ वन क्षेत्रों में अतिकमण की घटनाओं में वृध्दि हो रही है वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है।

2/ अतः यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा स्थानीय आदिवासियों एवं वनों के आसपास निवास कर रहे ग्रामीणों से सतत संपर्क किया जावे तथा उन्हें इस संदर्भ में जागरुक किया जावे कि राज्य शासन उनके कल्याण के लिये तथा विधिक अधिकारों की मान्यता देने के लिये वचनबध्द है। असामाजिक तत्वों के भडकाने में आकर यदि वे वर्तमान स्थिति में वन क्षेत्र में अतिकमण करते है, तो उन्हें अतिकमित भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा क्योंकि ऐसी भूमि पर केवल उन्हीं काबिंजों को अधिकार प्राप्त होना है जो कि 13 दिसम्बर, 2005 की स्थिति में वन भूमि पर काबिज, थे। इस तिथि के बाद की तिथि पर यदि किसी व्यक्ति के द्वारा वनभूमि पर अतिकमण किया जाता है, तो उस भूमि पर उन्हें किसी तरह के अधिकार की पात्रता नहीं होगी।

3/ आप सबको अवगत कराया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 यद्यपि दिनांक 2-1-2007 को अधिसूचित कर दिया गया है लेकिन अभी तक यह अधिनियम प्रभावशील नहीं हुआ है। केन्द्र शासन ने दिनांक 19-6-07 को अधिसूचना जारी करते हुए इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रारुप नियमों पर आपत्ति/सुझाव दिनांक 3 अगस्त, 2007 तक चाहे है। आपत्ति/सुझावों का परीक्षण करने के उपरान्त ही केन्द्र शासन अंतिम नियमों को अधिसूचित करेगा तथा अधिनियम के प्रभावशील होने की अधिसूचना जारी करेगा। अतः समस्त को यह भी स्पष्ट करे कि अभी तक यह अधिनियम प्रभावशील नहीं हुआ है।

4/ स्थानीय जिला प्रशासन से सतत संपर्क करे तथा राज्य शासन की जितनी भी कल्याणकारी योजनायें है उनसे आदिवासियो/ग्रामवासियों को अवगत कराये। जिला प्रशासन के सहयोग से ग्राम-ग्राम में स्वास्थ्य केम्प तथा समस्या निवारण शिविर का आयोजन जिलाध्यक्ष के माध्यम से करावे जिससे कि ग्रामवासियों एवं आदिवासियों को यह संतुष्टि हो सके कि राज्य शासन ही उनके कल्याण के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा न कि कोई असामाजिक तत्व।

5/ आप स्वयं व आपके अधीनस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारी (वन रक्षक से लेकर उच्च स्तर तक) अपने प्रभार के क्षेत्रों का सतत भ्रमण करे तथा वन भूमि पर होनेवाले किसी भी अतिक्रमण के प्रयासों को विफल करे। इस संबंध में कोई भी कोताही नहीं बरती जायेगी।

6/ राज्य शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि इस पत्र के जारी होने के दिनांक से आगामी आदेश तक किसी प्रकार का कोई अवकाश, केवल आपातकालीन परिस्थितियों में छोडकर, स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यथा संभव यह भी प्रयास किया जायेगा कि अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर न्यूनतम प्रवास किया जावे।

7/ वृत्त के समस्त प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक से अपेक्षा है कि वे अपने प्रभार के वृत्तों में सतत भ्रमण करे तथा राज्य शासन की मंशा के अनुरुप कार्यवाही पूर्ण होना सुनिश्चित करे।

कृपया इन निर्देशों का कडाई से पालन करे। निर्देशों के पालन में ढिलाई पाये जाने पर राज्य शासन अनुशासनात्मक कार्यवाही करने पर विचार करेगा।

(रंजना चौधरी)
6/8/07
प्रमुख सचिव
म0प्र0शासन वन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 25/83/10-3/04/पार्ट भोपाल,दिनांक: 6 अगस्त,07

प्रतिलिपि--

1. मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी, म0प्र0
4. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य वन विकास निगम
5. प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य लघु वनोपज संघ
6. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश

4563
8/8/07

(रतन पुरवार)
6/8/07
सचिव
म0प्र0शासन वन विभाग

APCCF (Prot.)

5789
8/8

7/8/07